का

नियमावली

1. संस्था का नाम : "आदर्श ग्रामीण सेवा"

परिभाषा :

क) संस्था से अभिप्राय है : "आदर्श ग्रामीण सेवा"

ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है : अध्यक्ष,सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

घ) वर्ष से अभिप्राय है : 1 ली अप्रैल से 31 मार्च तक ।

ड.) एक्ट से अभिप्राय है : सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 ।

2. सदस्यता :

कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हों एवं संस्था के प्रति निष्ठा रखते हों वे इस संस्था के सदस्य बन सकते है। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 100/– रूपये प्रवेश शुल्क एवं 10/–रू0 मासिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

3. सदस्यता से विमुक्ति :

निम्न परिस्थितियों में संस्था से सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी :

क) स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

ख) पागल या मृत्यु होने पर ।

ग) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

घ) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।

च) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।

छ) बिना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन:

क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 7 (सात) सदस्य होंगे ।

ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा के द्वारा किया जायेगा ।

ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा । निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है।

घ) अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को मनोनित किया जा सकता है, किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा ।